न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम अनूपशहर, बुलन्दशहर

विविध वाद संख्या 28 सन 2025

रवि कुमार..... .बनाम..... अमन कुमार आदि।

30.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 5C2

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 5C2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्च आदेश दिनांक 18.01.2025 गलत तथ्यों पर आधारित है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी दिनांक 18.01.2025 को अचानक बुखार एवं सर्दी होने के कारण उक्त वाद में पैरवी करने अदालत नहीं आ सका था जिसकी वजह से न्यायालय द्वारा वादी की गैर मौजूदगी में उक्त वाद खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी कानूनी परियोजनाओं से अपरिचित है। प्रार्थी ने दिनांक 17.05.2025 को अपने अधिवक्ता से मालूम किया कि उक्त वाद दिनांक 18.01.2025 को वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज हो चुका है। प्रार्थी अपने वाद संख्या 03 सन् 2020 रवि कुमार बनाम अमन कुमार आदि को पुर्नस्थापित रेस्टोरेशन कराकर (Contest) करना चाहता है। उपरोक्त आधारों पर उक्त वाद को रेस्टोरेशन पुर्नस्थापित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा अपने रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक–18.12.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। वाद के पूर्णतः गुण–दोष के आधार पर निरस्तारण हेतु रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5C2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 5C2 अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांकित 18.01.2025 अपास्त किया जाता है। उत्तराधिकार वाद संख्या 03 सन 2020 रवि कुमार बनाम अमन कुमार आदि अपने मूल नंबर पर कायम हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30.08.2026 को पेश हो।

(रूचि भाटी)
सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।